

16-11-2024
62

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्य ०)
अध्यापक विभाग, नन्दनगर के अधीन, नयायम सभाग
18 नयायम क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.S.Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 011-26521841
Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110333/2024-25/के.वि.सं.(मु.)/शिक्षक/गुरुग्राम /11149

उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

गुरुग्राम सभाग (Gurugram Region)

दिनांक: 01/02/24

052

विषय: सत्र 2024-25 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ निर्धारण (कक्षाओं एवं कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक staff strength निर्धारण के online web portal के माध्यम से सत्र 2024-25 के लिए आपके सभाग अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षाओं की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा आपके सभाग के निम्न तालिकाबद्ध केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2024-25 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	Bilaspur	Sanctioned one section in class-VIII.
2	Budyar (Jind)	Sanctioned 2 nd section in class-VI. No other change. <i>(A fresh proposal may be sent for sanction of section in class-XI(Com.)/XI(Hum.) on the basis of registration of students in different streams after declaration of class-X result, as per requirement).</i>
3	No.3 Faridabad	No change.
4	Jutogh	No change.
5	GC CRPF, Kadarapur	Sanctioned one section in class-X.
6	NSG Manesar	Decreased one section in class-II. No other change.
7	Mathana	Sanctioned 2 nd section in class-VII and one section in class-XII(Hum.). No other change.
8	Nadaun ✓	Sanctioned one section in class-XI(Sc.) & XI(Hum.) in each. ✓
9	Beholi, Samalkha	Sanctioned 2 nd section in each class-II, III, IV & V and one section in class-XII(Sc.). No other change.
10	GC CRPF, Sonipat	Sanctioned one section in class-X.
11	Dharampur	Sanctioned one section in class-VII.

संभाग के शेष केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त अनुवर्ती कार्रवाई हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही वांछित आलेख (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ अधिकतम 10 दिनों की समायावधि में इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

"It is certified that all the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation."

- समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
- आपके सभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु निर्गत किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
- इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ आलेख (documents) जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान संख्या स्वरूप में कक्षाएँ व्यवस्थित की गई हैं वहाँ पर पदों की संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान ही होनी चाहिए।

before 02/02/24

भवदीय

जा र मुनी
(एन आर मुरली)
संयुक्त आयुक्त (शिक्षक)

संलग्नक : यथोपरि।